

अर्थ एवं आधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी अल्मोडा

महोदय शासनादेश संख्या 747/405-वा0जि0आ0/2013, दिनांक 04.07.2014 तथा शासनादेश संख्या 645/XXVII(1/2014) वित्त अनुभाग-01 दिनांक 14.07.2014 के क्रम में दिये गये एए निर्देशानुसार जिला सेक्टर योजना-वर्ष 2014-15 हेतु अधोहस्तकारी के विभाग से सम्बन्धित विभिन्न मदों में मांग निम्नानुसार है।

विभाग का नाम- आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग

धनराशि ₹0 लाख में

क्र.सं	स्क्रीम का नाम	मानक मद	स्कीम चालू/नई धनराशि	मात वर्षों तक आवंटित धनराशि	प्रोजेक्ट का नाम अंशों में	प्रोजेक्ट का कोषागार नाम हिन्दी में	स्थान(ग्राम)/विकास खंड	कार्यकारी एजेंसी	Project Start Date	Project End date	Total section cost	TAC cost (construction)	TAC cost (Procurement)	Capital amount	Revenue amount	Physical Target	वर्तमान में योजना में मांग की जा रही धनराशि	वर्तमान में आवंटित धनराशि के सापेक्ष मासिक लक्ष्य		
1	1) रोजागिरी दसोला के चालू अर्ध निर्माण कार्य जिला योजनात्मक	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		24-गृह निर्माण	चालू	15.75	S. A. D. Dasola	रोजागिरी दसोला	अल्मोडा	धौलादेवी	ग्रामीण अभियोजन सेवा विभाग	31.01.13	मार्च/2015	50.33	50.33	-	50.33	-	34.58	1	1	
2	2) रोजागिरी बमनस्थल के चालू अर्ध निर्माण कार्य जिला योजनात्मक		चालू	15.75	S. A. H. D. Bamanswal	रोजागिरी बमनस्थल		धौलादेवी	ग्रामीण अभियोजन सेवा विभाग	31.01.13	मार्च/2015	51.45	51.45	-	51.45	-	35.7	1	1	
Total																70.28				

उक्त तालिका से सम्बन्धित सभी शासनादेश संलग्न हैं। निर्माण कार्य से सम्बन्धित सभी कार्यो के आगणन गठित कर टी0ए0सी0 करा ली गयी है। जिन योजनाओं में पूर्ण में धनराशि अवमुक्त की गयी थी, उसका पूर्ण उपयोग किया जा चुका है। जिन योजनाओं में पूर्व में धनराशि अवमुक्त की गयी थी, उसका पूर्ण उपयोग किया जा चुका है। उक्त के अतिरिक्त प्रमाणित किया जाता है कि:-

01. उक्त योजनाओं में कोई भी नयी योजना प्रस्तावित नहीं की जा रही है। सभी चालू योजनाओं है।

02. अवमुक्त की जा रही धनराशि यथाशीघ्र नियमानुसार ब्याज कर ली जायेगी तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किर दिया जायेगा।

धनराशि आहरण वितरण कोड संख्या 2751 में स्थानान्तरित की जानी है। अतः कृपया उक्तानुसार वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

-80-

विभागीय/अधिकारी

आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी

अनुमोदित कार्यक्रम (2013-14)

₹ 50% तक की सीमा

(₹ 70 लाख) हेतु

उत्प्रेषणित,

अर्थ एवं सहायिका/सदस्य समुक्त सचिव, जिला नियोजन समिति अल्मोडा।

18/11

मुख्य विकास अधिकारी

सदस्य सचिव,

जिला नियोजन समिति अल्मोडा।

जिलाधिकारी/सदस्य

050814

जिला नियोजन समिति अल्मोडा।